



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-19/2017-867

दिनांक : 05/7/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल/ खूँटी वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ लोहरदगा वन प्रमण्डल/ सिमडेगा वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ पाकुड़ वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ कोल्हान वन प्रमण्डल/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल/ चाईबासा वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल **रु0 42.355 लाख (बेयालीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-25/2017-09/स्वी0 व0प0 दिनांक 26.05.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-25/2017-40/आ0 व0प0 दिनांक 08.05.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि के अधीन कुल **रु0 42.355 लाख (बेयालीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796400103	42.355
कुल :-		42.355

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर तालिका अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601796400103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उप आवंटन के कंडिका-5 में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गये कार्यों से वनों के घनत्व में आये परिवर्तन को देखा जा सके।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजना एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृति राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री क्रय का भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-19/2017-867 दिनांक-05/7/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ दुमका/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-19/2017-867 दिनांक-05/7/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ खूँटी/ गुमला/ लोहरदगा/ सिमडेगा/ दुमका/ पाकुड़/ साहेबगंज/ चाईबासा/ सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जानेवाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं मृ सूरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2682.39	0.00	2682.39
i	ii	iii	iv	v	vi
रीजन का नाम :- राँची					
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	229	6.143	0.000	6.143
2	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	100	2.682	0.000	2.682
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	150	4.024	0.000	4.024
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	150	4.024	0.000	4.024
5	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	100	2.682	0.000	2.682
योग		729	19.555	0.000	19.555
रीजन का नाम:- दुमका					
1	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	150	4.024	0.000	4.024
2	पाकुड वन प्रमंडल, पाकुड	100	2.682	0.000	2.682
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	150	4.024	0.000	4.024
योग		400	10.730	0.000	10.730
रीजन का नाम:- जमशेदपुर					
1	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	100	2.682	0.000	2.682
2	पोडाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	100	2.682	0.000	2.682
3	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	150	4.024	0.000	4.024
4	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	100	2.682	0.000	2.682
योग		450	12.070	0.000	12.070
सकल योग		1579	42.355	0.000	42.355

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक-

**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर**

**योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना के अन्तर्गत वनों का संवर्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन जल एवं भू संरक्षण कार्य पथरीली (कड़ी मिट्टी)**

कार्य दर प्रति हे०

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : **237.38**

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सागरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	कालावधि
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	सिंगलिंग कार्य	हे०	4.00	949.52	0.00	949.52	
2	वन की सुरक्षा	हे०	7.30	1732.87	0.00	1732.87	अप्रैल से मार्च तक
	योग-		11.30	2682.39	0.00	2682.39	

नोट :- स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो०ब०-24/2017-10 दिनांक 26.05.2017।

प्रधान मुख्य वने संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची



## आवटन आदेश

## आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-19/2017/867

दिनांक - 05-Jul-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36856	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	614,300.00 रुपये छः लाख चौदह हजार तीन सौ
2	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36857	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O. KHUNTI	268,200.00 रुपये दो लाख अड़सठ हजार दो सौ
3	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36859	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	402,400.00 रुपये चार लाख दो हजार चार सौ

योग:

1,284,900.00

क्रमिक योग:

रुपये बारह लाख चौरासी हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.D. (HARGHARS) RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
4	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36863	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	402,400.00 रुपये चार लाख दो हजार चार सौ
5	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36865	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	268,200.00 रुपये दो लाख अड़सठ हजार दो सौ
6	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36869	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	402,400.00 रुपये चार लाख दो हजार चार सौ

योग:

1,073,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तेइस लाख सत्तावन हजार नौ सौ

2,357,900.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DUMKA (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
7	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36870	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	268,200.00 रुपये दो लाख अडसठ हजार दो सौ
8	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36871	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	402,400.00 रुपये चार लाख दो हजार चार सौ
9	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36872	SGHFOR002 VINAY KANT MISHRA D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	268,200.00 रुपये दो लाख अडसठ हजार दो सौ

योग:

938,800.00

क्रमिक योग:

रुपये बत्तीस लाख छयानवे हजार सात सौ

3,296,700.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. BAHAMANSI, RANCHI



क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
10	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36873	SGHFOR003  SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	268,200.00  रुपये दो लाख अडसठ हजार दो सौ
11	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36874	SGHFOR010  VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	402,400.00  रुपये चार लाख दो हजार चार सौ
12	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36875	SKLFOR001  A EKKA  D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	268,200.00  रुपये दो लाख अडसठ हजार दो सौ

योग:

938,800.00

क्रमिक योग:

रुपये बयालीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ

4,235,500.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DABHANPUR, RANCHI